

न्यायालय राजस्व मण्डल के ग्वालियर, कैम्प-उज्जैन मध्य प्रदेश ।

प्र० क्र० R-1724-I) 2004

गोविन्द प्रसाद आत्मज-नानक प्रसाद आयु-
जाति-बत्री नि० ग्राम-मादलाखेड़ी तह०
कालापीपल जिला- शाजापुर मध्य प्रदेश ।

----- आवेदक

विरुद्ध

1-काशी प्रसाद आत्मज नानक प्रसाद
नि० नेहरू पार्क के पास भिर्वा बाजार कालापीपल
जिला- शाजापुर म० प्र०

2-गुरुप्रसाद आत्मज नानक प्रसाद नि० ग्राम-
मादलाखेड़ी तह० कालापीपल जिला- शाजापुर
मध्य प्रदेश ।

----- अनावेदक

पुनरीक्षक आवेदन अन्तर्गत धारा 50 भू० रट० सं०

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
महोदय, शुजालपुर जिला- शाजापुर के प्र० क्र० 42-अ/2002-03 में पारित
आदेश दिनांक 20-7-2004 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के
आधार पर पुनरीक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है:-



153

श्री श्री १२०१ पुनर्जा नमि-२२१११
दिनांक 23/204 गी उल्लेख मध्य
महोदय
13/11/11

CF 19.1.05 3/11

50.12.05

R. 1724-I/2004 गाजापुर

23-2-18

आवेदक आधीवन्ता सूचना उपरांत अनुपाकित।
आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगाई गई, परन्तु
उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण आवेदक
पक्ष को अनुपाकित में अदमपैरवी में खारिज
किया जाता है।

अध्यापक

[क. प. उ.]